संख्या-10/2015/क0नि0-2-1142ग्यारह-2015-9(139)13

प्रेषक,

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्यकर ,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 05 अगस्त, 2015

विषय: रोलर फलोर मिलों एवं आटा चक्कियों द्वारा क्रय किए जा रहे गेहू पर क्रय कर के विकल्प में वर्ष 2015-2016 के लिए समाधान योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-6 के अधीन उत्तर प्रदेश में आटा, मैदा, सूजी के निर्माता फलोर मिल एवं चक्की प्लान्ट द्वारा वर्ष 2015-2016 (दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक) में आटा, मैदा, सूजी के निर्माण में प्रयुक्त गेहूं की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के विकल्प में एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी जाय। इस सम्बन्ध में शासन के निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

2- कृपया तदनुसार कार्यवाही कराने, योजना का व्यापक प्रचार व प्रसार भी करवाने तथा प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र/अनुबन्ध पत्र पूर्व की भांति निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष	रोलर बाडी की लम्बाई	रोलर फलोर मिलों द्वारा की गई पिसाईउत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के % के रूप में	प्रस्तावित समाधान धनराशि प्रति रोलर बाडी (रू0 में)
2015-16	40 इंच तक	100 प्रतिशत तक	रू0 11,01,235.00
"	40 इंच तक	100 प्रतिशत से अधिक एवं 120 प्रतिशत तक	रू0 14,68,307.00
"	40 इंच से अधिक	100 प्रतिशत तक	रू0 13,21,478.00
"	40 इंच से अधिक	100 प्रतिशत से अधिक एवं 120 प्रतिशत तक	रू0 16,88,558.00

(1) अधिष्ठापित क्षमता के 120 प्रतिशत से अधिक के पिसाई/उत्पादन के लिये समाधान योजना अनुमन्य न होगी। जिस क्षमता के लिये समाधान योजना अपनायी जाये उसके अनुपात से अधिक गेहू की खरीद किये जाने पर उस अधिक की गयी खरीद पर नियमानुसार कर व ब्याज का भुगतान करना होगा।

(2) 40 इंच तक की एक रोलर बाडी की अधिकतम क्षमता 3000 हजार मैट्रिक टन वार्षिक तथा 40 इंच से अधिक एक रोलर बाडी की अधिकतम क्षमता 3500 मैट्रिक टन प्रति रोलर बाडी वार्षिक निर्धारित है। 30 इंच साईज के 3 चक्की प्लान्ट अथवा 24 इंच साईज के चार चक्की प्लान्ट 40 इंच साईज की एक रोलर बाडी की क्षमता के बराबर होते है, अत: चक्की प्लान्ट पर समाधान धनराशि उक्त के हिसाब से व उसी अनुपात में निर्धारित की जायेगी।

(3) समाधान राशि 1 अप्रैल, 2015 से समानुपातिक रूप से देय होगी।

(4) समाधान योजना अपनाने हेतु व्यापारियों द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र अपने कर निर्धारक अधिकारी को समानुपातिक रूप से समाधान धनराशि का 5/12 भाग सहित दिनांक 15 अगस्त, 2015 तक प्रस्तुत करना होगा। देरी के लिये अधिनियम के अधीन स्वीकृत कर पर नियमानुसार देय ब्याज एवं समाधान धनराशि सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक स्वीकार किया जा सकता है।

(5) समाधान योजना वाले व्यापारियों द्वारा निर्धारित समाधान धनराशि का क्रमश: 1/12 भाग दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 तक एवं 1/12 भाग दिनांक 15 नवम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 जनवरी, 2016 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 फरवरी, 2016 तक, 1/12 भाग दिनांक 15 मार्च, 2016 तक जमा किया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यदि ऊपर प्रस्तर (4) एवं (5) में निर्धारित तिथि तक कोई राशि जमा नहीं की जाती तो उक्त अवधितिथि के बाद ठीक अगली तिथि से राशि जमा होने तक की तिथि तक उसपर अधिनियम के अधीन स्वीकृत कर के रूप में नियमानुसार ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त संबधित व्यापारि के विरूद्ध बकाया देय एकमुश्त राशि की वसूली मालगुजारी की बकाया की वसूली की भाति भी की जायेगी और उसके विरूद्ध यथासिथति अभियोजन/ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(7) प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी स्थानीय अथवा अन्य जाच करने के लिये स्वतंत्र होंगे। ऐसी जाच के समय व्यापारी अथवा उसके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जाच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की सिथति में प्रार्थना पत्रशपथ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(8) समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को योजना के अनुरूप गेहू की खरीद करने पर क्रय कर देय नहीं होगा।

(9) रोलर फलोर मिल या आटा चक्की की अधिष्ठापित क्षमता की जांच करने के लिये कर निर्धारण अधिकारी स्वतंत्र होंगे, क्षमता के संबंध में विवाद की सिथति में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा।

(10) निर्माता इकाई की क्षमता में जिस माह में वृद्धि होती है, बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार उस पूरे माह के लिये शेष समाधान राशि अगले माह की जमा की जाने वाली किश्त के साथ जमा की जायेगी। आगे के माहों में अनुपातिक रूप से बढ़ी हुई समाधान धनराशि जमा की जायेगी।

(11) यदि कोई इकाई वर्ष के दौरान प्रारम्भ होती है तो उसके द्वारा गेहू की खरीद के माह से समाधान धनराशि देय होगी।

(12) समाधान योजना अपनाने वाली रोलर फलोर मिलों/आटा चक्कियों को शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जोयगा।

(13) एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

(14) विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर का निर्णय अंतिम होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in